प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा मामले) 1186/2016

1. शंकर लाल धुर्वे, पिता श्री रघबर राम धुर्वे, आयु लगभग 38 वर्ष, जाति गोंड, निवासी-गाँव अछोली, पुलिस थाना, डाक और तहसील-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

...... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग (पुलिस), नया मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय-रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
3. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
5. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
6. अनिल अग्रवाल, सब इंस्पेक्टर (पुलिस) (तत्कालीन थाना प्रभारी, पुलिस थाना-औंधी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

...... उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शशि भूषण तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण संख्या 1-5 के लिए : श्री शरद मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

एकल पीठ-माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

पीठ पर पारित आदेश

01.04.2025

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.02.2016 के आदेश (अनुलग्नक पी-1)

की वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता को प्रश्नाधीन करते हुए यह रिट याचिका दायर की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की दया याचिका निरस्त कर दी गई थी, जबकि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2015 (अनुलग्नक पी/2) की पुष्टि की गई थी, जिसके द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी/उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2007 (अनुलग्नक पी/4) की पुष्टि की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई थी क्योंकि वह दिनांक 25.02.2007 को अनुपस्थित पाया गया था और उसी दिन वह नशे की हालत में पाया गया था और उसने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था।

प्रकरण के तथ्यात्मक आधार: -

2. वर्तमान याचिकाकर्ता को, पुलिस आरक्षक के पद पर काम करते समय, दिनांक 25.02.2007 को अनधिकृत अनुपस्थिति के साथ-साथ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और नशे की हालत में पुलिस थाने आने के लिए 18.04.2007 दिनांकित आरोप पत्र दिया गया था।

3. वर्तमान याचिकाकर्ता के उक्त कृत्य के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अंबागढ़ चौकी/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने दिनांक 03.06.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) (2), 23 (के), (के), (जी), और 3 (1) (3) और छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमों के विनियमन 64 (4) (11) का उल्लंघनकारी होना पाया गया था। उक्त जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता को दिनांक 04.06.2007 को भी दी गई थी।इसके बाद, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव/उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2007 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया,

जिसके विरुद्ध उसने पुलिस महानिरीक्षक/उत्तरवादी संख्या 3 के समक्ष अपील की, जिसे भी दिनांक 02.11.2015 को निरस्त कर दिया गया। उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित निर्णय विरुद्ध उसने दया याचिका दाखिल की थी, जिसे भी आक्षेपित आदेश दिनांक 27.02.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया। आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई है।

पक्षकारों का तर्क : -

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शशि भूषण तिवारी ने तर्क दिया कि केवल एक दिन अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए इतना बड़ा दण्ड नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता दिनांक 25.02.2007 को नशे की हालत में पुलिस थाने आया था, तथापि, उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा यह पता लगाने के लिए न तो चिकित्सा परीक्षण किया गया था और न ही रक्त परीक्षण किया गया था कि याचिकाकर्ता उस दिन नशे की हालत में था या नहीं, इस प्रकार, उत्तरवादी का उक्त निष्कर्ष पूरी तरह से प्रतिकूल निष्कर्ष है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में पुनर्स्थापित करके यथायाचित अनुसार अनुतोष प्रदान की जानी चाहिए। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने **बाचुभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] और **मुन्ना लाल बनाम भारत संघ और अन्य**[2] के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया।

5. राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री शरद मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा था और विभागीय जांच में

---

[1] (1971) 3 SCC 930

[2] (2010) 15 SCC 399

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से कदाचार भी सिद्ध पाया गया है, ऐसे में आक्षेपित आदेश सुयोग्य है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः वर्तमान रिट याचिका निरस्त की जा सकती है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया है।

विवेचना और विश्लेषण : -

7. आगे बढ़ने से पहले, जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2007 के माध्यम से याचिकाकर्ता के विरुद्ध विरचित किये गए आरोपों पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार कथन किया गया है : -

> "1. दिनांक-25/2/2007 को नक्सल प्रभावित थाना औंधी में 13:20 बजे तक हाजरी डियूटी लगाई गई थी परन्तु कर्तव्य से अनुपस्थित रहकर छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 की कंडिका (1) की उप कंडिका (दो)) का उल्लंघन करना।
>
> 2. दिनांक-25.2.2007 को शराब का सेवन किए हुए हालत में थाने के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ अनुशासनहीनता प्रदर्शित कर छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-23 की उप कंडिका (क), (ख), (ग) एवं छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 की कंडिका (1) की उप कंडिका (तीन) एवं पुलिस रेग्युलेशन की कंडिका-64 (4) (11) के विपरीत कार्य करना।"

8. **प्रथम आरोप :-**जहाँ तक प्रथम आरोप का संबंध है, याचिकाकर्ता दिनांक 25.02.2007 को अनुपस्थित रहा था और उसने कर्तव्य पर उपस्थिति नहीं दी थी, जो सही प्रतीत होता है। यहां तक कि, उक्त आरोप के निष्कर्ष के संबंध में, याचिकाकर्ता की ओर से इसका गंभीरता से खंडन नहीं किया जा सका और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

भी उक्त निष्कर्ष में किसी भी अवैधता की ओर इंगित नहीं कर सके। इसलिए, यह न्यायालय भी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करता है।

9. **द्वितीय आरोप : -** अभिलेखों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पर नशे की हालत में पुलिस थाने आने और पुलिस थाने में अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए गंध परीक्षण के पंचनामे के आधार पर प्रमाणित हुआ है। नशे की हालत में पुलिस थाने में आना और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करना एक बड़ा दुराचार है। तथापि, याचिकाकर्ता का कथित कदाचार पंचनामे पर आधारित है जिसे अनुलग्नक पी/8 के अनुसार दिनांक 25.02.2007 को तैयार किया गया था। पंचनामे के साक्षियों ने याचिकाकर्ता की नशे की हालत के बारे में स्पष्ट रूप से कथन किया है और यह प्रमाणित करने के लिए कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था, याचिकाकर्ता के मुंह को चंद्रभूषण टंडन, प्रधान आरक्षक, पुलिस थाने औंधी (गवाह संख्या 7) द्वारा सूंघा गया था।

10. इस संबंध में, **बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि नशे को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है जब तक कि मूत्र परीक्षण या रक्त परीक्षण नहीं किया जाता है और मूत्र परीक्षण या रक्त परीक्षण की अनुपस्थिति में, यह निश्चित रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि घटना के समय अभियुक्त नशे की हालत में था।

11. इसी प्रकार, **मुन्ना लाल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक पुलिस उपनिरीक्षक के विरुद्ध आरोप पर विचार किया गया था, जिसमें कथित तौर पर कर्तव्य

अवधि में उसे नशे की हालत में पाया गया था और माननीय न्यायाधीशों ने कंडिका संख्या 4 और 5 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

> "4. उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को पहले भी कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया गया था और अपीलार्थी के आचरण के विरुद्ध अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। परंतु वर्तमान प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हुआ था कि अपीलार्थी उस दिन नशे में था, जब वह ड्यूटी पर था। यह साबित करने के लिए संतोषजनक साक्ष्य नहीं थे कि उसके पास कोई शराब पाई गई थी और उसे चिकित्सक के सुझाव के अनुसार उसे पहले सफदरजंग अस्पताल भी नहीं ले जाया गया था।
>
> 5. सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में, हमारा मत है कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाया गया आरोप संतोषप्रद रूप से सिद्ध नहीं हुआ हैं। पर्याप्त प्रमाण के अभाव में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण को ऐसा दण्ड अधिरोपित नहीं लगाना चाहिए था। इसलिए, अधिरोपित किया गया दंड अवैध था और अपीलार्थी सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने का हकदार है और वह उस अवधि, जब वह सेवा से बाहर था, के लिए पिछले वेतन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार है। उत्तरवादीगण को अपीलार्थी को तुरंत सेवा में पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। इस अवधि के दौरान अपीलार्थी की सेवा को वरिष्ठता, वृद्धि और पेंशन जैसे अन्य सेवा लाभों के लिए मान्य किया जाएगा। "
>
> (प्रभाव वर्धित)

12. इसके अतिरिक्त, **नरेंद्र दत्ता राय विरुद्ध भारत संघ**[3] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी** (पूर्वोक्त) और **मुन्ना लाल** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों का अवलंब लिया है और कंडिका 49 और 51 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> “49.एक कर्मचारी पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने से पहले उत्तरवादी अधिकारियों को एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए आवश्यक

---

[3] 2018 SCC OnLine Cal 8613

> चिकित्सा परीक्षण(ओं) करना चाहिए था कि कर्मचारी शराब के नशे में था जिसके परिणामस्वरूप यह कदाचार हुआ था। उत्तरवादियों को यह मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए था कि कर्मचारी की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वह अपनी बुद्धि की स्पष्टता और स्वयं पर नियंत्रण से वंचित था, जो अन्यथा उसके पास होती और उक्त व्यवहार शराब के नशे में था। किसी भी संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में एक कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाना चाहिए।
>
> 51. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपराध को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण प्रमाणित करना उत्तरवादी प्राधिकारियों का दायित्व था, न कि इसके विपरीत। अपीलार्थी के विरुद्ध किसी भी तर्कपूर्ण साक्ष्य के अभाव में उसके विरुद्ध प्रकरण उत्तरवादीगण द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, आरोप II में दिया गया यह स्पष्ट कथन कि अस्पताल के उपस्थित चिकित्सक ने अपीलार्थी की नशे की हालत की पुष्टि की है, पूरी तरह से मिथ्या है। यह अपीलार्थी के विरुद्ध जांच करने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी की पूर्व निर्धारित और पक्षपातपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। "
>
> (प्रभाव वर्धित)

13. उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के नशे में होने को पंचनामे के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है जो गंध परीक्षण पर आधारित है, परंतु अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को नशे के तथ्य को स्थापित करने के लिए चिकित्सा या रक्त परीक्षण कराने के लिए नहीं कहा। इस प्रकार, **बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी** (पूर्वोक्त) और **मुन्ना लाल** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों और **नरेंद्र दत्ता राय** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रकाश में, कर्तव्य के दौरान नशे में होने के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई

प्रक्रिया याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप प्रमाणित करने का सही तरीका नहीं होगा। याचिकाकर्ता की मादक स्थिति को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सा परीक्षण या रक्त परीक्षण के अभाव में भी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और अंतिम प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध दूसरे आरोप को यथावत रखने में त्रुटि की है, तदनुसार, याचिकाकर्ता के संबंध में दूसरा आरोप स्थापित नहीं किया जा सका है।

निष्कर्षः-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का पहला आरोप अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से प्रमाणित किया गया है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा यथावत रखा गया है। तथापि, दूसरा आरोप कि याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, विधिसम्मत नहीं है, इसलिए इस संबंध में निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप सेवा से पदच्युति के दण्ड को संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता पर छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमों के विनियमन 217 (क) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि को रोकने की लघु शास्ति अधिरोपित की जाती है।

15. उपरोक्त विवेचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को बकाया वेतन को छोड़कर सभी परिणामी लाभों के साथ उसकी सेवा में पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है।   वह **मुन्ना लाल** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जिसका याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी अवलंब

लिया है, के आलोक में सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए 50% बकाया वेतन पाने का हकदार होगा।

16. वर्तमान रिट याचिका उपर्युक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सक्सेना/अंकित

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**